माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID –registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: 503 /प्रशा0/एम.एस.यू./2024–25 दिनांक 24.06.2024

नीलामी सूचना

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में स्थित, 29 नग वृक्षों की नीलामी के लिए उनके सम्मुख अंकित तिथि को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रातः विश्वविद्यालय, पुँवारका, सहारनपुर के 11:00 बजे, माँ शाकुम्भरी सभागार में नीलामी आहूत की जाती है।

क्र. सं.	स्थल	नीलामी स्थल	वृक्षों की संख्या एवं प्रजाति	नीलामी की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	धरोहर राशि जमा करने का समय	नीलामी प्रारम्भ होने का समय	नीलामी की स्वीकृति के पश्चात पेड़ों को काटकर हटाने की अवधि
01.	कुलसचिव कार्यालय के अन्तर्गत, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यलय के संचालित भवन के दक्षिण तरफ स्थित 29 अदद वृक्षों को काटने हेतु नीलामी	सभागार माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय	29 अदद आम–01, कनकचम्पा–04, एलेस्टोनिया–07, अमलताश–03, सिरस–02, कंजी–02, जामुन–01, शहतूत–01, शीशम–05, यूकेलिप्टस–03, वृक्ष	02.072024	22,919.00	5000.00	11:00 बजे प्रातः	12:00 बजे अपराह्नः	05 दिन मात्र

काम के लिए मापदंड

01. एजेंसी/ठेकेदार पेड़ों को काटने के साथ–साथ पेड़ों की जड़ों को जमीन से पूर्णतः निकालने के लिए जिम्मेदार होगी।
02. पेड़ों की लोडिंग, अनलोडिंग का खर्च बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा।
03 विश्वविद्यालय को सौंपने से पहले एजेंसी/ठेकेदार वृक्षों के क्षेत्र को साफ करेगी और उसको समतल बनाएगी।

:–नियम एवं प्रतिबन्धः–

01. प्रत्येक बोलीदाता को रू0 200 (रू0 दो सौ मात्र) नीलामी में भाग लेने हेतु प्रवेश–शुल्क के रूप में जमा करना होगा, जो अदेय (Nonrefundable) होगा।
02 नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलने से पहले रू0 5000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में सारणी में अंकित तिथि व समय पर जमा करना होगा, जिसे नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत होने के पश्चात् ही वापस किया जाएगा। नीलामी में सम्मिलित होने वाले बोली दाता यदि बोली नहीं बोलते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी उक्त धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
03. बोलीदाता द्वारा बोली में भाग लेने हेतु धरोहर राशि का नकद/ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, पुँवारका, सहारनपुर के नाम देय हो, जमा करना होगा, तभी टोकन निर्गत किया जायेगा। टोकन प्राप्त कर्ता को ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

04. प्रवेश शुल्क एवं निर्धारित धरोहर की राशि जमा करने वाला व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रवेश शुल्क एवं धरोहर राशि जमा नहीं किया है तो उसे नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

05. जिसकी बोली उच्चतम तथा संतोषजनक घोषित होगी, उसको उच्चतम बोली की कुल धनराशि मय अन्य अधिभारों नियमानुसार देय कर सहित को नीलामी समाप्त होने के बाद एक घन्टे के अन्दर नीलामी स्थल पर नगद जमा करना होगा। यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी कुल धनराशि जमा करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, तत्पश्चात् द्वितीय उच्चतम बोली दाता को उनके द्वारा बोली गयी धनराशि को जमा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता भी बोली गयी धनराशि जमा करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, तत्पश्चात् तृतीय उच्चतम बोलीदाता को उनके द्वारा बोली गयी धनराशि को जमा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि तृतीय उच्चतम बोली दाता भी बोली गयी धनराशि जमा करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उच्चतम तीन बोलीदाताओं के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् नीलामी स्थल पर ही वापस कर दी जाएगी उच्चतम नीलामी की धनराशि जमा हो जाने के बाद शेष दो बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि भी नियमानुसार वापस करने का निर्णय लिया जाएगा।

06 बोली की शुरुआत 23,000 रु0 की कीमत से शुरु होगी और प्रत्येक राउण्ड में न्यूनतम रुपये 2000.00 बढाकर बोली लगाना अनिवार्य होगा।

07. बोलीदाता को पैनकार्ड, जीएसटी पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड की प्रतियाँ बोली के साथ समिति की उपस्थिति में जमा करवानी अनिवार्य है।

08. नीलामी में सफल बोलीदाता का वृक्षों के कटवाने एवं उत्पादित प्रकाष्ठ/जलौनी को अन्यत्र ले जाने हेतु नियमानुसार वन विभाग से अभिवहन पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए क्रेता को नियमानुसार शीशम, सागौन व आम के वृक्षों का पातन अनुज्ञा शुल्क, घन रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क वन विभाग में जमा करना होगा।

09. यदि कोई अतिरिक्त पेड़/पौधे एजेंसी/ठेकेदार द्वारा काटे पाये जाते हैं, तो एफआईआर दर्ज करने जैसी सख्त कार्यवाही, सुरक्षा राशि जब्त करने के अधिकार आदि एजेंसी/ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

10. यदि परिसर से लकड़ी निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन में लकड़ी को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय सामग्री पायी जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी/ठेकेदार को दंडित किया जाएगा।

11. कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की देखरेख में होगा।

12 निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार इस उददेश्य के लिए गठित समिति के पास होगा और समिति कोई कारण बताए बिना उद्धरण/निविदा के किसी भी या सभी मदों की अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। समिति को उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं समिति किसी भी क्षेत्र के उद्धरण/निविदा को स्वीकार करने और बाकी के लिए इसे अस्वीकार करने या दोनों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

13. किसी भी चूक/उपेक्षा/कार्रवाई, माँग, कार्यवाही, मुकदमों संलग्नक, करों का भुगतान न करने, देनदारियों की गैर–निकासी के कारण क्षतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायों/राज्य/केंद्र सरकार के वैधानिक कानूनों/नियमों का पालन न करना और इसके कर्मचारियों की गलती और/या कमी/लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति एजेंसी/ठेकेदार द्वारा माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को की जायेगी।

14. एजेंसी/ठेकेदार द्वारा लगे हुए कामगारों को दिये जाने वाले भुगतान के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

15. विश्वविद्यालय किसी भी इकाई के लिए एजेंसी/ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय, न्यायिक और/या प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16. यदि कोई विवाद होगा तो सहारनपुर में अदालतों के अधिकार–क्षेत्र के अधीन होगा।

17. अनुबंध के किसी भी पहलू के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ठेकेदार और विश्वविद्यालय के बीच आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि मामला निबटारा नहीं हुआ है, तो विवाद भारतीय न्याय अधिनियम के दायरे में आ जायेगा और क्षेत्राधिकार सहारनपुर होगा।

18. यदि इस समझौते के किसी प्रावधान/प्रावधानों के अर्थ और प्रभाव के अनुसार कोई संदेह या अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो स्पष्टीकरण के लिए कुलपति, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को संदर्भित किया जाएगा/कुलपति द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

19. अन्य शर्तें यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौके पर कर दी जाएगी और कार्य के दौरान यदि कोई नियम व शर्ते होंगी तो आपसी सहमति से लागू की जायेगी।

20. किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना–देना नही होगा।

21. बोलीदाता यदि किसी अन्य (निशान के अलावा) पेड़ को कटवाता पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराने के साथ–साथ बोली को भी तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा तथा उसका सारा सामान और जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

22 उक्त वृक्षों के प्रकाष्ठ का ढुलान करने की दशा में सम्पत्ति चिह्न एवं निकासी आदि की अनुमति वन विभाग से लेनी होगी।

23. उच्चतम बोलीदाता को वृक्षो का पातन 06 दिनों में करना होगा।

24. उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी की प्रक्रिया अपूर्ण रहने की स्थिति में नीलामी आवश्यकतानुसार उसके अगले कार्य दिवसों में सम्पन्न की जायेगी।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner